रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618]	नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 16, 2019/आश्विन 24, 1941
No. 618]	NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2019/ASVINA 24, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15, अक्तूबर, 2019

सा.का.नि. 792(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 469 की उप धारा (1) और उप धारा (2) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2018 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) वे कंपनियां जिन्होंने पहले ही इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपनी लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्ररूप सीआरए-4 में फाइल कर दी है, उन्हें उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लागत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है।

2. कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के संलग्नक में;

(क) प्ररूप सीआरए-1 में,-

(i) पैरा 7. उपरिशीर्ष उप-पैरा (ड), (थ), (द) और (ध) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उप-पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(ड) उपरिशीर्षों को कृत्यों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात् निर्माण कार्य, प्रशासन, विक्रय और वितरण। निर्माण कार्य उपरिशीर्ष, जिन्हें उत्पादन उपरिशीर्ष, संकार्य उपरिशीर्ष, कारखाना उपरिशीर्ष अथवा विनिर्माणकारी उपरिशीर्ष के रूप में भी जाना जाता है, में अप्रत्यक्ष लागत होगी जो उत्पाद के उत्पादन अथवा सेवा प्रदान करने में अंतर्वलित है। प्रशासनिक उपरिशीर्ष सामान्य प्रबंधन और संगठन के प्रशासन से संबंधित कार्यकलापों में खर्च हुए संसाधनों की लागत का योग होगा। विक्रय और वितरण उपरिशीर्ष संगठन के विक्रय और वितरण कार्यकलापों में खर्च हुए संसाधनों की लागत का योग होगा।";

"(थ) पट्टे पर ली गई आस्तियों की दशा में, यदि यह संकार्यात्मक पट्टा है तो संपूर्ण किराये को संबंधित उपरिशीर्ष में सम्मिलित किया जाएगा। यदि यह पट्टा वित्तीय पट्टा है तो वित्तीय लागत अंश को पृथक किया जाएगा और वित्तीय लागत के भाग के रूप में माना जाएगा।";

"(द) विक्रय और वितरण उपरिशीर्षों, जिनके फायदे का परिदान दीर्घकाल तक होना प्रत्याशित है, को तर्कसंगत आधार पर परिशोधित किया जाएगा।";

"(ध) वितरण कार्यकलाप के संबंध में परिवहन अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा उद्गृहीत कोई डेमरेज या अवरोधन प्रभार अथवा शास्ति विक्रय और वितरण उपरिशीर्षों का भाग नहीं बनेगा।";

(ii) पैरा 8. प्रशासनिक उपरिव्यय का लोप किया जाएगा;

(iii) पैरा 9. परिवहन लागत में उप-पैरा (ट) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ट) निर्यात के लिए छूट प्राप्त माल, करयोग्य माल के लिए परिवहन लागतों के अभिलेख को अलग से रखा जाएगा।";

(iv) पैरा 28. लागत विवरणों में उप-पैरा (क) और उप-पैरा (ग) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(क) संदर्भाधीन प्रत्येक माल या सेवा के संबंध में मात्रात्मक सूचना दर्शित करते हुए लागत विवरण (मासिक, तिमाही और वार्षिक) उत्पादशुल्क अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध क्षमता, वास्तविक उत्पादन, उत्पादन, माल और सेवाकर अभिलेखों के अनुसार उत्पादन, लागत अभिलेखों के अनुसार उपयोगिता क्षमता (इन हाउस), व्यापार के लिए क्रय किया गया स्टाक, विक्रय के लिए उपलब्ध स्टाक और अन्य समायोजन मात्रा, अपशिष्ट और वास्तविक विक्रय, जावक प्रदायों की कुल मात्रा और चालू वित्तीय वर्ष और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान माल और सेवाकर अभिलेखों के अनुसार कुल जावक प्रदायों के ब्यौरे दर्शित करते हुए तैयार किया जाएगा।";

"(ग) माल या सेवाओं, निर्धारणीय मूल्य/कराधेय मूल्य, संदत्त शुल्क अथवा कर की कुल निकासियों को दर्शाते हुए अप्रत्यक्ष करों के समाधान, केंद्रीय मूल्य वर्धित कर अथवा मूल्य वर्धित कर अथवा सेवा कर अथवा उपयोग किया गया माल और सेवा का प्रत्यय, वसूले गए शुल्क या कर और संदत्त ब्याज या शास्ति के संबंध में लागत विवरण (मासिक, तिमाही और वार्षिक)।";

(ख) प्ररूप सीआरए-3, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उपाबंध में,-

(I) भाग-क में,-

(क) सारणी 2. लागत लेखाकार का साधारण विवरण,-

(i) मद 11 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(11) प्ररूप सीआरए-2 की एसआरएन संख्या";

(ii) मद 12 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"12(क) वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक (बैठकों) की संख्या जिसके लिए लागत लेखा-परीक्षक को आमंत्रित किया गया";

"12(ख) वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या, जिनमें लेखा परीक्षक ने भाग लिया";

(ख) सारणी 4. उत्पाद/सेवा ब्यौरा (समग्र कंपनी के लिए),-

(i) "परिचालन से प्राप्त कुल सकल राजस्व" शब्दों के स्थान पर "विनिर्मित उत्पाद या सेवा से प्राप्त कुल सकल परिचालन राजस्व" शब्द रखे जाएंगे और इसके पश्चात् दो नई पंक्तियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"कंपनी की अन्य परिचालन संबंधी आय

कंपनी की कुल परिचालन संबंधी आय";

(ii) "विशेष, असाधारण और अन्य व्यापक आय, यदि कोई हो" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) असाधारण और असामान्य आय

(ii) अन्य व्यापक आय, यदि कोई हो";

(iii) "उत्पाद शुल्क/सेवा कर" शब्दों के स्थान पर "उत्पाद शुल्क / सेवा कर / वस्तुएं और सेवा कर" शब्द रखे जाएंगे;

(II) भाग-ख में,-

(क) सारणी 1. **मात्रात्मक सूचना** (प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक सीईटीए शीर्षक सहित) में, बिन्दु 3 में, "उत्पाद" शब्द के स्थान पर, "उत्पाद शुल्क/वस्तु और सेवा कर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) सारणी 2. **संक्षिप्त लागत विवरण** (प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक सीईटीए शीर्षक सहित) में, बिन्दु 28 में, "ब्याज" शब्द के स्थान पर "वित्त प्रभारों" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) सारणी 2ख. **उपभुक्त सामग्री का विस्तृत विवरण** में, "सामग्री" शब्द के स्थान पर "उपभुक्त सामग्री" शब्द रखे जाएंगे;

(III) भाग-ग में,-

(ग) सारणी 1. **मात्रात्मक सूचना** (पृथक रुप से प्रत्येक सेवा के लिए), -

(i) बिन्दु 3 में, "सेवा कर" शब्दों के स्थान पर , "सेवाकर/माल और सेवा कर" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) बिन्दु 5 को बिन्दु 7 के रूप में पुनःसख्यांकित किया जाएगा, इस प्रकार पुनःसख्यांकित बिंदु 7 के पहले और बिन्दु 4 के पश्चात्, निम्नलिखित बिन्दु अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"5. अन्य समायोजन

(क) स्वतः या आबद्ध खपत

(ख) अन्य मात्रात्मक समायोजन, यदि कोई है

(ग) कुल अन्य समायोजन

6. विक्रय के लिए उपलब्ध कुल सेवाएं [2(घ)+5(ग)]"

(ख) सारणी 2. **संक्षिप्त लागत विवरण** (प्रत्येक सेवा के लिए पृथक रूप से) में, बिन्दु 23 में, "ब्याज" शब्द के स्थान पर "वित्त प्रभारों" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) सारणी 2ख. **उपभुक्त सामग्री का विस्तृत ब्यौरा** में, "सामग्री" शब्द के स्थान पर "उपभुक्त सामग्री" शब्द रखे जाएंगे;

(IV) भाग-घ में,-

(क) सारणी 2 में, फायदा समाधान (समग्र कंपनी के लिए) बिन्दु 1 में, "लेख अभिलेख" शब्दों के स्थान पर "लेखा" शब्द रखा जाएगा।

(ख) सारणी 3, उपार्जन का मूल्य संवर्धन एवं वितरण (समग्र कंपनी के लिए) बिन्दु 1, 2, 3, 5 और 9 के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित बिन्दु रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"1 संक्रियाओं से राजस्व";

"2 घटाएं : कर और अन्य शुल्क";

"3 संक्रियाओं से शुद्ध राजस्व";

"5 जोड़ें/घटाएं: स्टाक में समायोजन";

"9 जोड़ें: (i) विशिष्ट और असाधारण आय

(ii) अन्य व्यापक आय, यदि कोई हो";

(ग) सारणी 4, वित्तीय स्थिति एवं अनुपात विश्लेषण (समग्र कंपनियों के लिए), बिन्दु ड़ में, मद 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(घ) सारणी 5, संबंधित पक्ष संव्यवहार (समग्र कंपनी के लिए), "संबंधित पक्ष का नाम व पता" शब्दों के स्थान पर "संबंधित पक्षकार का नाम और कंपनी पहचान संख्या (सीआईएन)" शब्द रखे जाएंगे।

(ङ) सारणी 6, अप्रत्यक्ष करों का मिलान (समग्र कंपनी के लिए), के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:-

"6. अप्रत्यक्ष करों का पुनर्निर्माण (समग्र कंपनी के लिए) ब्यौरे:

विवरण		कराधेय मूल्य/ निर्धारणीय मूल्य	उत्पाद शुल्क/वेट, सीएसटी, उपकर आदि/ अन्य राज्य कर, यदि कोई हों	वस्तु और सेवा कर			
				सीवस्तु और सेवा कर	एसवस्तु और सेवा कर/ यूटीवस्तु और सेवा कर	आईवस्तु और सेवा कर	उपकर और अन्य
		रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
क्र.सं.	**शुल्क/संदेय कर**						
	उत्पाद शुल्क						
1.	घरेलू						
2.	निर्यात						
3.	स्टॉक अंतरण (शुद्ध)						
4.	अन्य, यदि कोई हो						
5.	**कुल उत्पाद शुल्क (1 से 4)**						
6.	**वेट, सीएसटी, उपकर आदि**						
7.	**अन्य राज्य कर, यदि कोई हो**						
	वस्तु और सेवा कर						
8.	जावक कराधेय आपूर्ति (शून्य दर, कुछ नहीं की दर और छूट प्राप्त से भिन्न)						
9.	जावक कराधेय आपूर्ति (शून्य दर)						
10.	आवक आपूर्ति (राजस्व प्रभारों के लिए दायी)						
11.	अन्य जावक आपूर्ति (कुछ नहीं की दर पर या छूट प्राप्त)						
12.	गैर-वस्तु और सेवा कर जावक आपूर्ति						
13.	**कुल (8 से 12)**						
14.	**कुल संदेय शुल्क/कर (5+6+7+13)**						
	संदत्त शुल्क/कर भुगतान [यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके और लेखाबही के माध्यम से भुगतान करके, जैसा भी मामला हो]						
	उपयोग किया गया इनपुट का प्रत्यय						
15.	सीवस्तु और सेवा कर/सीईएनवीएटी						
16.	एसवस्तु और सेवा कर/यूटीवस्तु और						

	सेवा कर/वेट						
17.	आईवस्तु और सेवा कर						
18.	उपकर						
19.	संक्रमणकालीन प्रत्यय						
20.	अन्य, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करें						
21.	**कुल प्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय (15 से 20)**						
22.	नकद बही द्वारा संदाय						
23.	**कुल संदत्त शुल्क/कर (21+22)**						
	संदत्त और संदेय के मध्य अंतर (14-23)						
24.	संदत्त ब्याज/शास्ति/जुर्माना						

स्पष्टीकरण : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित संशोधन माल और सेवा कर के पुरस्थापन के कारण किए गए हैं।

[फा. सं. 1/40/2013-सीएल.V भाग-1]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 425(अ) तारीख 30 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. संख्या 01(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2014 और सा.का.नि. संख्या 486(अ) तारीख 12 जून, 2015 तथा सा.का.नि. संख्या 695(अ) तारीख 14 जुलाई, 2016 और सा.का.नि. संख्या 1498(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2017 तथा सा.का.नि. संख्या 1526(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2017 और सा.का.नि. संख्या 1157(अ) तारीख 03 दिसंबर, 2018 द्वारा उनका पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2019

G.S.R. 792(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 and section 148 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred as the Act), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (cost records and audit) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (cost records and audit) Amendment Rules, 2019.

(2) These rules shall be deemed to come into force on the 1st day of April, 2018.

(3) The companies who have already filed their Cost Audit Report in form CRA-4 for the financial year 2018-19 with the Central Government before the publication of this notification are not required to file their Cost Audit Report for the said financial year.

2. In the Companies (cost records and audit) Rules, 2014, in the Annexure,-

(a) in Form CRA-1,-

(i) in paragraph 7. Overheads, for sub-paragraphs (m), (q), (r) and (s), the following sub-paragraphs shall respectively be substituted, namely:-

"(m) Overheads shall be classified according to functions, viz., works, administration, selling and distribution. Works overheads, also known as Production Overheads, Operation Overheads, Factory Overheads or Manufacturing Overheads, shall be the indirect costs involved in the production of a product or in providing service. Administrative overheads shall be the aggregate of cost of resources consumed in activities relating to general management and administration of an organisation. Selling and Distribution overheads shall be the aggregate of cost of resources consumed in the selling and distribution activities of the organization.";

"(q) In case of leased assets, if the lease is an operating lease, the entire rentals shall be included in the respective overheads. If the lease is a financial lease, the finance cost portion shall be segregated and treated as part of finance costs.";

"(r) Selling and Distribution Overheads, the benefits of which are expected to be derived over a long period, shall be amortized on a rational basis.";

"(s) Any demurrage or detention charges or penalty levied by the transportation or other authorities in respect of distribution activity shall not form part of Selling and Distribution Overheads.";

(ii) the paragraph 8. Administrative Overheads, shall be omitted;

(iii) in paragraph 9. Transportation Cost, for sub-paragraph (k), the following shall be substituted, namely:-

"(k) Records for transportation costs for exempted goods, taxable goods cleared for export shall be maintained separately.";

(iv) in paragraph 28. Cost Statements, for sub-paragraphs (a) and (c), the following shall respectively be substituted, namely:-

"(a) Cost statements (monthly, quarterly and annually) showing quantitative information in respect of each goods or service under reference shall be prepared showing details of available capacity, actual production, production as per excise records, production as per GST records, capacity utilisation (in-house), stock purchased for trading, stock and other adjustments, quantity available for sale, wastage and actual sale, total quantity of outward supplies as per cost records and total outward supplies as per GST records during current financial year and previous year.";

"(c) Cost statements (monthly, quarterly and annually) in respect of reconciliation of indirect taxes showing details of total clearances of goods or services, assessable value/ taxable value, duties or taxes paid, CENVAT or VAT or Service Tax or GST Credit utilised, duties or taxes recovered and interest or penalty paid.";

(b) in Form CRA-3, in Annexure to the Cost Audit Report,-

(I) in Part-A,-

(a) in table 2. General Details of Cost Auditor,-

(i) for item 11, the following shall be substituted, namely:-

" (11) SRN number of Form CRA-2";

(ii) for item 12, the following shall be substituted, namely:-

"12(a) Number of audit committee meeting(s) during the year for which Cost Auditor was invited

12(b) Number of audit committee meeting(s) attended by cost auditor during year";

(b) in table 4. PRODUCT/ SERVICE DETAILS (for the company as a whole),-

(i) or the words "Total Net revenue from Operations", the words "Total Net Operational Revenue of Manufactured Product or Service" shall be substituted and thereafter two new rows shall be inserted, namely:-

"Other Operating Incomes of Company

Total Operating Incomes of Company";

(ii) for the words "Exceptional, Extra Ordinary and Other Comprehensive Income, if any", the following shall be substituted, namely:-

"(i) Exceptional and Extra Ordinary income

(ii) Other Comprehensive Income, if any";

(iii) for the words "Excise/ Service Tax" the words "Excise / Service Tax/ GST" shall be substituted;

(II) in Part-B,-

(a) in table 1. QUANTITATIVE INFORMATION (for each product with CETA Heading separately), in point 3, for the words "Excise", the words "Excise/ GST" shall be substituted;

(b) in table 2. ABRIDGED COST STATEMENT (for each product with CETA Heading separately), in point 28, for the word "Interest", the word "Finance Charges" shall be substituted;

(c) in table 2B. Details of Utilities Consumed, for the word "Material", the words "Utilities Consumed" shall be substituted;

(III) in Part-C,-

(a) in table 1. QUANTITATIVE INFORMATION (for each service separately),-

(i) in point 3, for the words "Service Tax", the words "Service Tax/ GST" shall be substituted;

(ii) point 5 shall be renumbered as point 7 and before point 7, so as renumbered, and after point 4, the following points shall be inserted, namely:-

"5. Other Adjustments

(a) Self or Captive Consumption

(b) Other Quantitative Adjustments, if any

(c) Total Other Adjustments

6. Total Available Services for Sale [2(d)+5(c)]"

(b) in table 2. ABRIDGED COST STATEMENT (for each service separately), in point 23, for the word "Interest", the words "Finance Charges" shall be substituted;

(c) in table 2B. Details of Utilities Consumed, for the word "Material", the words "Utilities Consumed" shall be substituted;

(IV) in Part-D,-

(a) in table 2. PROFIT RECONCILIATION (for the company as a whole), in point 1, for the words "Accounting Records", the word "Accounts" shall be substituted;

(b) in table 3. VALUE ADDITION AND DISTRIBUTION OF EARNINGS (for the company as a whole), for points 1, 2, 3, 5 and 9, the following points shall respectively be substituted, namely:-

"1 Revenue from Operations";

"2 Less: Taxes and other duties";

"3 Net Revenue from Operations";

"5 Add/ Less: Adjustment in Stocks";

"9 Add: (i) Exceptional and Extra Ordinary income

(ii) Other Comprehensive Income, if any";

(c) in table 4. FINANCIAL POSITION AND RATIO ANALYSIS (for the company as a whole), in point E, item 3 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(d) in table 5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (for the company as a whole), for the words "Name and Address of the Related Party", the words "Name and CIN of the Related Party" shall be substituted;

(e) for table 6. Reconciliation of Indirect Taxes (for the company as a whole), the following table shall be substituted, namely:-

"6 Reconciliation of Indirect Taxes (for the company as a whole)

Particulars		Taxable Value/ Assessable Value	Excise Duty/ VAT, CST, Cess etc./ Other State Taxes, if any	Goods & Services Tax			
				CGST	SGST / UTGST	IGST	Cess and Others
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Sl. No.	**Duties/ Taxes Payable**						
	Excise Duty						
1	Domestic						
2	Export						
3	Stock Transfers (Net)						
4	Others, if any						
5	**Total Excise Duty (1 to 4)**						
6	**VAT, CST, Cess etc.**						
7	**Other State Taxes, if any**						
	Goods & Services Tax						
8	Outward Taxable Supplies (other than zero rated, Nil Rated and Exempted)						
9	Outward Taxable Supplies (zero rated)						
10	Inward Supplies (liable to Reverse Charge)						
11	Other Outward Supplies (Nil Rated, Exempted)						
12	Non-GST Outward Supplies						
13	**Total (8 to 12)**						
14	**Total Duties / Taxes Payable (5 + 6 + 7 + 13)**						
	Duties/ Taxes paid [by Utilisation of Input Tax Credit and Payment through Cash Ledger, as the case may be]						
	Input Tax Credit Utilised						
15	CGST/ CENVAT						
16	SGST / UTGST/ VAT						
17	IGST						
18	Cess						
19	Transitional Credit						
20	Others, if any, specify						
21	**Total Input Tax Credit Utilised (15 to 20)**						
22	Payment through Cash Ledger						
23	**Total Duties/Taxes Paid (21 + 22)**						
	Difference between Taxes Paid and Payable (14 - 23)						
24	Interest/Penalty/Fines Paid						

”.

Explanatory Memorandum : It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification. The proposed amendments have been made on account of introduction of the Goods and Services Tax.

[F. No. 1/40/2013-CL-V Part 1]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 425 (E), dated the 30th June, 2014 and amended *vide* number G.S.R. 01(E), dated the 31st December, 2014 and *vide* number G.S.R. 486 (E), Dated the 12th June, 2015 and *vide* number G.S.R. 695(E), dated the 14th July, 2016 and *vide* number G.S.R. 1498 (E), dated the 7th December, 2017 and *vide* number G.S.R. 1526 (E), dated the 20th December, 2017 and *vide* number G.S.R. 1157 (E), dated the 3rd December, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road,Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.18 12:53:14 +05'30'